



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खसरा सं.-957 ग्राम मेहरौली, गाजियाबाद के क्षेत्रफल 4559.97 वर्गमी. भूमि पर स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत करते हुए मै. ए.आई.एच. रियल्टी प्रा.लि. द्वारा होटल मानचित्र सं.-GDA / BP / 25-26/0160 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डवलपमेन्ट प्लान-2031 जोन-1 के अनुसार खसरा सं.-957 ग्राम मेहरौली, गाजियाबाद का भू-उपयोग 100.00 मी. चौड़ी राजमार्ग (NH-9) के मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त अवशेष भाग आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 के प्रस्तर-2.6 में निहित जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में होटल क्रिया सामान्यतः अनुमन्य है। महायोजना के प्राविधानों के अनुसार प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में मूल क्रिया से इतर क्रिया अनुमन्य किये जाने पर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एक माह की अवधि प्रदान करते हुए जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

ई.मेल : helplinegda@gmail.com,



: @Gda Ghaziabad



: @gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प